भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1191
उत्तर देने की तारीख 11 दिसंबर, 2023
सोमवार, 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

वैश्विक कौशल परिदृश्य

1191. डॉ. सुजय विखे पाटील: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: प्रो. रीता बहुगुणा जोशी: श्री संजय भाटिया: डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कौशल अभियान को बाजार मांग के अनुरूप बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) वे कारक कौन से हैं जिन्होनें वैश्विक कौशल परिदृश्य में भारत की बढ़ती पहचान को मान्यता दी है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं:

(ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इस संबंध में वित्तीय परिव्यय कितना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग के लिए कौशल से लैस करना है।

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योग/नियोक्ता के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग लीडर्स के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) की स्थापना की गई है। इन परिषदों के कार्यों में उद्योग-मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने के साथ-साथ कौशल/अर्हता मानकों और अर्हताओं को निर्धारित करने और उन्हें राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार अधिसूचित करने के उद्देश्य से क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं को अभिनिर्धारित करना शामिल है। कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत पाठ्यक्रमों को

एसएससी के जानकरी के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाता है जो उद्योग के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग 4.0 की आवश्यकता को पूरी करने वाले भावी तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स इत्यादि जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और मानकों की स्थापना करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। एनसीवीईटी को अवार्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए), कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देने तथा उनके काम-काज का अनुवीक्षण करने; एनएसक्यूएफ अनुरूप अर्हताओं और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का अनुमोदन; मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुवीक्षण, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण और अन्य संबंधित आकस्मिक कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग-मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग मान्यता प्रदान करें। एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं में सिद्धांत, व्यावहारिक, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल (ईएस) मॉड्यूल/एनओएस शामिल हैं। रोजगार अर्हता कौशल का उद्देश्य शिक्षार्थियों की नियोजनीयता को सुदृढ़ करना है ताकि उनके लिए रोजगार के उच्च अवसर प्राप्त हो सकें।

इसके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) भी कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है। लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम के तहत, एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग/संगठन को कम से कम 50 प्रतिशत सफल प्रशिक्षुओं की नियुक्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। डीएसटी के तहत, आईटीआई में मूलभूत कौशल और ज्ञान को शामिल किया जाता है और उद्योगों के माध्यम से उन्नत कौशल प्रदान किया जाता है। इससे उद्योग की भावी कुशल कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने और काम की दुनिया के लिए बेहतर तैयारी में मदद मिलती है। डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर संबंधी संस्थानों के लिए उद्योग संबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (तत्कालीन क्वेस्ट एलायंस), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, उद्योग मांग के साथ कौशल पहल को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं। इस पहल के तहत, वित्तीय-वर्ष 2022-23 में कुल 24.83 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ii) एनएपीएस के तहत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्धता को बढ़ावा दिया जाता है।

(iii) भारत सरकार ने दस देशों अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता करार पर हस्ताक्षर किए हैं

(iv) भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

(ख) वैश्विक कौशल परिदृश्य में भारत की बढ़ती पहचान के लिए उत्तरदायी कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ विश्व भर में कुशल कार्यबल की मांग और भारत का अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश; अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पूर्व शिक्षण मान्यता और दीर्घावधि प्रशिक्षण सहित कौशल बुनियादी ढांचे का व्यापक नेटवर्क, जो विविध ट्रेडों में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला; सर्वव्यापी नियामक निकाय के रूप में एनसीवीईटी की स्थापना, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन का काम सौंपा गया है; उभरते बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निरंतर विकास और भारत के कौशल परिदृश्य को विश्व के सामने लाने के लिए कौशल विकास के प्रक्षेत्र में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के निरंतर प्रयास, शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

• सूचना के आदान-प्रदान, मानक निर्धारण, कौशल सामंजस्य, अर्हता की मान्यता आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग का फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबद्धता।

• भारतीय कुशल कार्यबल की विदेशी गतिशीलता, प्रशिक्षकों का क्षमता-निर्माण, नियोक्ता की भागीदारी आदि की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस करार।

• कुशल गतिशीलता और रोजगार को बढ़ाने के लिए फोकस देशों का को अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन।

• अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण देने और परामर्श, पासपोर्ट और वीजा प्रक्रियाओं में सहायता और नियोजन पश्चात सहायता आदि प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना करना।

(ग) एमएसडीई निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा रखने वाले और 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों, "दिव्यांगजन" और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-/वैतनिक रोजगार को बढ़ावा देकर पारिवारिक आय में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) : यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल के साथ-साथ युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

उद्यमिता विकास के कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

(घ) एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

स्कीम का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
पीएमकेवीवाई (स्कीम के प्रारंभन से 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	1,40,22,926
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	21,74,056
एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	25,48,023
सीटीएस (आईटीआई) (वर्ष 2018 से वर्ष 2022)	65,10,839

एमएसडीई की पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस स्कीमों के तहत जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

स्कीम का नाम	जारी निधि (करोड़ रुपए में)
पीएमकेवीवाई (स्कीम के प्रारंभन से 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	10,441.32
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	654.00
एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से अक्तूबर, 2023 तक)	1,071.85

आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

******